

FORM NO III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अजमेर उपखण्ड अधिकारी अराई

मुकाम अराई (अजमेर)

• राजीव पुत्र रामरतन जाति तेली, आयु 67 साल निवासी किशनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज ।
-वादीगण

बनाम

• मदन लाल पुत्र रामरतन जाति तेली निवासी किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान व अन्य
-प्रतिवादीगण।



किस्म मुकदमा- धारा 88, 188 राज0 का0 अधि0 1955

दर्ज क्रमांक 50 / 2024

ऑनलाइन नंबर 2024 / 187

वकील वादी:- विजेन्द्र सिंह

वकील प्रतिवादीगण.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
05/08/24	यह वादपत्र वादीगण की ओर से वकील वादी श्री विजेन्द्र सिंह ने अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.का. अधि. 1955 के तहत पेश किया गया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादीगणों की तलबी जरिये समन सम्मन द्वारा की जाकर पत्रावली दिनांक 20.09.2024 को पेश हो।  उपखण्ड अधिकारी अराई	
20/09/2024	पत्रावली पेश की वाली वादीगण प्रतिवादीगण के तलबी के तामील मुद्दा समन पत्र जो मा.नि. प्रतिवादीगण 01/10 के तामील मुद्दा की तलबी अनुम अर्थ रहे हैं पत्रावली दिनांक 20/09/2024 को पेश है।  उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)	

31/10/25

पत्रावली पेनाडुकी वरील पत्रावली कडुवा
नामिली रिपोर्ट हेतु वारं वारं कोण
भी नामिली रिपोर्ट प्राप्त नाही। पत्रावली
कडुवा नामिल स्वामीय कोणाती ही
पत्रावली पत्रावली व हीत वारं वारं कोण